रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082020-221170 CG-DL-E-17082020-221170

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401] No. 401] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2020/श्रावण 26, 1942 NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2020/SHRAVANA 26, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2020

सं. 25/2020- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 507(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "कास्टिक सोडा" जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 के अंतर्गत आता है के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 42/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 अगस्त, 2015, जिसे सा.का.नि. 640(अ), दिनांक 18 अगस्त, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिशमन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतिशमन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/1/2020-डीजीटीआर, दिनांक 7 फरवरी, 2020, जिसे दिनांक 7 फरवरी, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है;

3739 GI/2020 (1)

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 42/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 अगस्त, 2015, जिसे सा.का.िन. 640(अ), दिनांक 18 अगस्त, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसुचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य के सदर्भ में इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 17 नवम्बर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है या इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो, लागू रहेगा।"।

[फा. सं. 354/92/2011-टीआरयू (भाग-1)]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2020

No. 25/2020-Customs (ADD)

G.S.R. 507(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/1/2020-DGTR, dated the 7th February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 7th February, 2020, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Caustic Soda' falling under Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from People's Republic of China and Korea RP, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 42/2015-Customs (ADD), dated the 18th August, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 640(E), dated the 18th August, 2015, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 42/2015-Customs (ADD), dated the 18th August, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 640(E), dated the 18th August, 2015, namely:-

In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification, with respect to People's Republic of China and Korea RP, shall remain in force up to and inclusive of the 17th November, 2020, unless revoked, superseded or amended earlier."

[F. No. 354/92/2011-TRU (Pt-1)] GAURAV SINGH, Dy. Secy.